न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

प्रार्थना पत्र संख्या 2/2024 तारीख रजू 13.02.2024

शब्बीर खॉ पुत्र हाजीर रहमत खॉ मुसलमान निवासी भारजा गद्दी तहसील मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. रजाक पुत्र हबीब सांई निवासी भारजा गद्दी तहसील मलारना डूंगर (मृतक)

1/1 इनाम पुत्र रजाक निवासी भारजा गद्दी तहसील मलारना डूंगर

1/2 अनीसा पत्नी रजाक निवासी भारजा गद्दी तहसील मलारना डूंगर

1/3 समीम पुत्री रजाक पत्नी बल्लू हाल निवासी शहर सवाई माधोपुर

1/4 साईना पुत्री रजाक पत्नी मुस्तफा निवासी बेरखण्डी तहसील बाटोदा

1/5 रबीना पुत्री रजाक पत्नी अप्पी हाल निवासी कुण्डेरा तहसील सवाई माधोपुर

2. नफीस खान पुत्र सुलेमान मुसलमान निवासी भारजा गद्दी तहसील मलारना डूंगर
3. चेयरमेन, आवंटन सलाहकार समिति, जरिये एस0डी0ओ0 स0मा0
4. तहसीलदार, तहसील सवाई माधोपुर

.........अप्रार्थीगण

उपस्थित – श्री आर.एस.वैष्णव एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से

श्री दौलत सिंह राजावत एडवोकेट – अप्रार्थीगण 1/1 लगायत 1/5 व 2 की ओर से

पेरोकार सरकार – अप्रार्थीगण 3 व 4 की ओर से

निर्णय दिनांक 13.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 06.05.1976 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 रजाक पुत्र हबीब सांई निवासी भारजा गद्दी तहसील मलारना डूंगर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम भारजा गद्दी में दिनांक 06.05.1976 को खसरा नम्बर 473/3 रकबा 5 बीघा का किया गया आवंटन को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज [illegible] अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्राथीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 की दौराने विचाराधीन पत्रावली मृत्यु होने पर अप्रार्थी [illegible] जरिये अधिवक्ता उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आये। सरकार की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आए। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी नं0 3 ने अप्रार्थी नं0 1 से साज कर दिनांक 06.05.76 को अलोटमेन्ट रूल्स नियम 1970 के विपरीत जाकर आराजी साबिक ख0नं0 473/3 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित करवा ली गयी जिससे व्यथित होकर प्रार्थना पेश किया गया है। अप्रार्थी नं0 1 ने कब अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, दिनांक तक उसके प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है, इसके पश्चात प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित रिपोर्ट पटवारी में कॉलम नं0 1 लगायत 11 में सिर्फ 2 ही पैरा का अंकन किया है, उक्त आराजीयात पर काफी समय पूर्व से प्रार्थी काबिज काश्त रहा है जबकि प्रार्थना पत्र में यह कॉलम था कि उक्त भूमि पर किसी का अतिक्रमण है या नहीं इस तथ्य को साज कर छुपाया गया है इसके पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर सम्पूर्ण कोरम का अभाव होने के उपरान्त भी आवंटन रूल्स के मेन्डेरी नियमों को बोईलेशन उक्त प्रकरण में किया गया इस कारण भी आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। आवंटन रूल्स के मुताबिक आवंटन तिथि के 15 दिवस पूर्व में उद्घोषणा जारी किया जाना आवश्यक है जबकि उक्त आवंटन करने से पूर्व किसी प्रकार की उद्घोषणा जारी नहीं की गयी है तथा ना ही हल्का पटवारी ने आवंटन से पूर्व बेकेट लैण्ड की कोई लिस्ट नहीं बनायी है तथा कॉट छॉट कर सम्पूर्ण कार्यवाही तहसील कार्यालय में बैठकर सम्पादित की है। सर्वप्रथम अलोटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ही खारिज होने योग्य था क्योंकि आवंटन नियम 8 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को वाद पत्र के अनुरूप ट्रीट किया जाता है इस पर किसी प्रकार के साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। इन बातों पर गौर किये गये बिना उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन आदेश पारित होने के उपरान्त मौके पर कब्जा दिया जाना आवश्यक है कब्जे सुपुर्दगी पर फर्जी निशानी अंकित कर कब्जा दिया जाना दर्शाया गया है यदि आवंटन के पश्चात आवंटी प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय व तृतीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि काश्त होना आवश्यक है अलोटी का ना तो पूर्व में कब्जा था और न ही आज कब्जा है इस कारण भी आवंटन रूल्स के पालना के अभाव में आवंटन आदेश निरस्तनीय है। आवंटन आदेश दिनांक 06.05.76 को किया गया है तथा दिनांक 11.11.1975 को आवंटन आदेश होना एस0डी0ओ0 साहब दर्शाते है तथा सिफारिश आवंटन समिति एवं पटटा एस0डी0ओ0 साहब पर भी 11.11.75 को काट कर 06.05.76 का अंकन किया गया है इससे साबित है कि उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही फोर्ड एवं मिसरिप्रिजेन्टल की श्रेणी में आता है इस कारण भी आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि धारा 16 आर0टी0 एक्ट के तहत राज्य सरकार द्वारा कुछ भूमियां प्रतिबंधित की गयी है जिनको ना आवंटित की जा सकती है ना ही उनका नियमन किया जा सकता है इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नामान्तकरण संख्या 342 जो दिनांक 20.05.81 को आवंटी रजाक पुत्र हबीब सांई के नाम गैर खातेदारी का हल्का पटवारी द्वारा भरा है उसके कॉलम संख्या 6 में उक्त भूमि चरागाह भूमि दर्ज है और चरागाह भूमि को किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती है इस प्रकार हल्का पटवारी ने जो अपने प्रार्थना पत्र में भूमि की किस्म नहरी 2 दर्शायी है वह गलत है क्योंकि भूमि की किस्म तो चरागाह थी और चरागाह से ही गैर खातेदारी अधिकार दिये गये है तदुपरान्त राजस्व कर्मचारियों ने गैर खातेदारी से आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त कर दिये गये तथा गैर खातेदारी व खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 342 में 5 बीघा के स्थान पर 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी गयी इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने सम्पूर्ण कार्यवाही अलोटी से साज कर सम्पादित की है और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त आराजीयात को अप्रार्थी नं0 2 को बेचान कर दिया जबकि मौके पर पूर्व में भी प्रार्थी उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त था आज भी उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। इसका सबसे बडा प्रमाण यह है साबिक खसरा नं0 473 पर 91 की कार्यवाही तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा की गयी है। वैसे भी अपीलाधीन आदेश शून्य आदेश की श्रेणी में आता है, तथा शून्य आदेश से किसी भी पक्षकार को कोई हक व [illegible] हासिल नहीं होते है, इस कारण भी आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख0नं0 473/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम [illegible] गया आवंटन आदेश दिनांक 06.05.1976 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 व 2 [illegible] वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुये तर्क किया कि हमे दिनांक 06.05.1976 को ख0नं0 473/3 रकबा 5 बीघा का आवंटन हुआ था जिसका नामान्तरकरण संख्या 344 के द्वारा हमारे नाम गैर खातेदारी स्वीकार हुई। इसके उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 344 द्वारा ख0नं0 473/3 रकबा 5 बीघा हमारे नाम खातेदारी स्वीकार हो चुकी है। आवंटन सलाहकार समिति ने आवश्यक कोरम पूर्ति उपरान्त दिनांक 06.05.76 को ख0नं0 473/3 रकबा 5 बीघा आवंटित की है चेयरमेन आवंटन सलाहकार समिति एवं एस0डी0ओ0 सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 15.5.76 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को गवाहान की उपस्थिति में कब्जा संभलाया गया है। वकील अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 व 2 ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 को लगभग 50 वर्ष पूर्व आवंटन सलाहकार समिति ने भूमि का आवंटन किया है। प्रार्थी द्वारा लगभग 48 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जोकि मियाद बाहर होने के कारण किसी भी स्तर पर चलने लायक नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी संलग्न नहीं है। अन्त में वकील अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 व 2 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज करने का निवेदन किया।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:04 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार सरकार ने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 चेयरमेन आवंटन कमेटी एवं एस0डी0ओ0 सवाई माधोपुर ने आवंटन कमेटी का पर्याप्त कॉरम होने पर तथा आवंटन कमेटी की अनुशंषा पर विधिवत रूप से प्रार्थी संख्या 1 रजाक पुत्र हबीब जाति सांई निवासी भारजा गद्दी तहसील मलारना डूंगर (हाल फौत) को ग्राम भारजा गद्दी में दिनांक 06.05.1976 को खसरा नम्बर 473/3 रकबा 5 बीघा आवंटित की गई है। अप्रार्थी संख्या 4 ने निर्णय दिनांक 06.05.1976 की पालना में प्रार्थी संख्या 1 (हाल फौत) को गवाहान की उपस्थिति में कब्जा संभलाया गया तथा विधिवत रूप से गैर खातेदारी एवं खातेदारी का नामान्तकरण खोला गया जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आवंटन सलाहकार समिति के पर्याप्त कोरम की सिफारिश पर चेयरमेन आवंटन कमेटी एवं एस0डी0ओ0 सवाई माधोपुर ने दिनांक 06.05.76 को अप्रार्थी संख्या 1 रजाक पुत्र हबीब जाति सांई निवासी भारजा गंद्दी तहसील मलारना डूंगर (हाल फौत) को खसरा नम्बर 473/3 रकबा 5 बीघा किस्म नहरी 2 वाके ग्राम भारजा गद्दी भूमि आवंटित की गई थी जिसका दिनांक 01.08.76 को गवाहान की उपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 (हाल फौत) को कब्जा संभलाया गया था तथा नामान्तकरण संख्या 342 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (हाल फौत) के नाम गैर खातेदारी स्वीकार हुई। इसके उपरान्त राजस्व अभियान के दौरान नामान्तकरण संख्या 344 के द्वारा खातेदारी स्वीकार हो चुकी है। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 (हाल फौत) रिकार्डेड खातेदार है जिनकी खातेदारी निरस्त करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (हाल फौत) को किये गये आवंटन दिनांक 06.05.76 के विरूद्ध आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र तत्समय ही पेश नहीं करके आवंटन के लगभग 48 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है तथा इतने वर्ष उपरान्त विचाराधीन प्रार्थना पत्र क्यों पेश किया है इसका भी कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है अतः मेरी राय में प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:04 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर